



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 26 मई, 2026 ई०

ज्येष्ठ 05, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 399080 / XVIII(1) / 2026-04(1) / 2017 T.C -E- 20668

देहरादून, 26 मई, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-06

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड, राजस्व परिषद्, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 8 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड, राजस्व परिषद्, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2021 में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 में-

(क) उपनियम (1) में-

(i) खण्ड (तीन) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(तीन) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(तीन) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसमें कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा की गति होनी अनिवार्य है।

(ii) खण्ड (तीन) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

(चार) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

1. विण्डो एवं इंटरनेट
2. एम0एस0 वर्ड
3. एम0एस0 एक्सेस
4. एम0एस0 एक्सेल
5. एम0एस0 पावर प्वाइंट

स्पष्टीकरण— कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति (Qualification Nature) की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) उपनियम (2) में—

(i) नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (तीन) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(तीन) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(तीन) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसमें कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा की गति होनी अनिवार्य है।

(ii) खण्ड (तीन) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

(चार) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

1. विण्डो एवं इंटरनेट
2. एम0एस0 वर्ड
3. एम0एस0 एक्सेस
4. एम0एस0 एक्सेल
5. एम0एस0 पावर प्वाइंट

स्पष्टीकरण— कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति (Qualification Nature) की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.399080/XVIII(1)/2026-04(1)/2017 T.C-E-20668, dated May 26, 2026 for general information.

No. 399080/XVIII(1)/2026-04(1)/2017 T.C-E-20668

Dated Dehradun, May 26, 2026

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Revenue Board, Review Officer and Assistant Review Officer Service Rules, 2021:-

The Uttarakhand Revenue Board, Review Officer and Assistant Review Officer (Amendment) Service Rules, 2026

Short Title and Commencement

1. (1) These rules may be called the “Uttarakhand Revenue Board Review Officer and Assistant Review Officer (Amendment) Service Rules, 2026.
(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 8

2. In the Uttarakhand Revenue Board Review Officer and Assistant Review Officer Service Rules, 2021, in the existing rule 8 as set out be in Column-1 below,

(A) In sub rule (1)-

(i) For clause (iii) the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Clause	Column-2 Substituted Clause
(iii) The candidate who can type in English on Computer shall be given preference.	(iii) The candidate who can type in English on Computer shall be given preference in which it is mandatory to have a minimum speed of 8000 key depressions per hour in English typing on Computer.

(ii) After clause (iii), the following clause shall be inserted, namely

(iv) Basic knowledge of Computer shall be tested, which shall include:

1. Windows & Internet.
2. MS Word.
3. MS Access.
4. MS Excel.
5. MS Power Point.

Explanation- It shall be mandatory to obtain minimum 40% marks in the qualifying nature examination of basic knowledge of Computer.

(B) In sub-rule (2)-

(i) For existing clause (iii) as set out in column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely:

Column-1 Existing Clause	Column-2 Substituted Clause
(iii) The candidate who can type in English on Computer shall be given preference.	(iii) The candidate who can type in English on Computer shall be given preference in which it is mandatory to have a minimum speed of 8000 key depressions per hour in English typing on Computer.

(ii) After clause (iii) the following clause shall be inserted, namely:

(iv) Basic knowledge of Computer shall be tested, which shall include:

1. Window & Internet.
2. MS Word.
3. MS Excel.
4. MS Access.
5. MS Power Point.

Explanation- It shall be mandatory to obtain minimum 40% marks in the qualifying nature examination of basic knowledge of Computer.

By Order,

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary.